न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 03/2010

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गोपालराम पुत्र गणेशाजी जाति भोई माली निवासी सिरोही तहसील व जिला सिरोही	1	राजस्थार राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुरेश कुमार शाह, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 4.6.18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2010 गोपालराम बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2010 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सिरोही के पुराना खसरा नम्बर 1496 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1497 रकबा 4 बीघा के नये खसरा नम्बर 1996 रकबा 0.3300 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1997 रकबा 0.6500 हैक्टेयर की भूमि पर अपीलाण्ट एवं उसके पूर्वजों का काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि की खातेदारी अपीलाण्ट के पक्ष में घोषित कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2005 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत किया तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में जवाबदावा लिए बिना एवं अपीलाण्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने का मात्र यह आधार लिया गया है कि अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार नहीं है, इस आधार पर अपीलाण्ट का वाद खारिज किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही

अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी भूमि दर्ज है, जिस पर अपीलाण्ट यदि काबिज भी है, तो वह कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होता है तथा अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। इसके अतिरिक्त स्थाई व्यादेश हेतु वही व्यक्ति वाद ला सकता है, जो खातेदार काश्तकार हो। प्रकरण में अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार नहीं होने के कारण वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश में किसी प्रकार की विधिक अनियमितता नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि उक्त धारा के तहत वाद मात्र खातेदार अभिधारी ही प्रस्तुत कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट जेर अपील वादस्थ भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं होने के कारण प्रकरण में विधिक बिन्दु निहित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के प्राथमिक स्टेज पर ही विधिक दृष्टिकोण से वाद पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2010 गोपालराम बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2010 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 4.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही